

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 245 सन 2021

अनवान :-

1. मैनपाल पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र चुनीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर ।
2. भागीरथ पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर ।
3. ताराचन्द पुत्र चुनीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर ।
4. घडसीराम पुत्र चुनीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर ।
5. इन्द्राज पुत्र चुनीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर ।
6. कृष्ण कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर ।
7. रुधाराम पुत्र चुनीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर ।
8. सुनील कुमार पुत्र रुधाराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर ।
9. सजना पत्नी चुनीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर ।
10. सुरस्वती पुत्री चुनीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर ।
11. सावत्री देवी पुत्री चुनीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर ।
12. पार्वती पुत्री अमरसिंह जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर ।
13. कविता पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर ।
14. समेस्ता नाबालिग पुत्री रुधाराम संरक्षिका माता कलावती पत्नी रुधाराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज


निर्णय दिनांक :- 09/04/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 54/60 की कुल 17.9637हैक एवं रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 77/82 की कुल 12.738हैक में से 161/1158 हिस्सा यानी 1. 771हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चुनीराम के नाम से दर्ज है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि चुनीराम वल्द लेखूराम के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है चुनीराम वल्द लेखूराम का देहान्त हो चुका है चुनीराम वल्द लेखूराम के पुत्र अमरसिंह का भी देहान्त हो गया है चुनीराम वल्द लेखूराम के जायज जीवित वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो चुनीराम वल्द लेखूराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 वादी की बहने/माता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री एवं पुत्र की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

  
सहायक अधिकारी  
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की चुनीराम जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वज चुनीराम पुत्र लेखूराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो चुनीराम के नाम दर्ज भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 15 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।


वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 54/60 की कुल 17.9637 हैक् एवं रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 77/82 की कुल 12.738 हैक् में से 161/1158 हिस्सा यानी 1.771 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चुनीराम के नाम से दर्ज है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि चुनीराम वल्द लेखूराम के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है चुनीराम वल्द लेखूराम का देहान्त हो चुका है चुनीराम वल्द लेखूराम के पुत्र अमरसिंह का भी देहान्त हो गया है चुनीराम वल्द लेखूराम के जायज जीवित वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो चुनीराम वल्द लेखूराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 वादी की बहने/माता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री एवं पुत्र की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 54/60 की कुल 17.9637हैक एवं रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 77/82 की कुल 12.738हैक में से 161/1158 हिस्सा यानी 1.771हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चुनीराम के नाम से दर्ज है।


वादी का कथन है कि वाद भूमि चुनीराम वल्द लेखूराम के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है चुनीराम वल्द लेखूराम का देहान्त हो चुका है चुनीराम वल्द लेखूराम के पुत्र अमरसिंह का भी देहान्त हो गया है चुनीराम वल्द लेखूराम के जायज जीवित वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो चुनीराम वल्द लेखूराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में चुनीराम का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया जिससे चुनीराम की मृत्यु होने की पुष्टि होती है तथा वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 54/60 की कुल 17.9637हैक भूमि मृतक चुनीराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 2.1994हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब एवं 4.8698हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 तथा 3.2816हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 4 व 2.00 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ,7 दोनो बहिब एवं 5.6122हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 6 व 8 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 77/82 की कुल 12.738हैक भूमि में से 161/1158 हिस्सा यानी 1.771हैक भूमि मृतक चुनीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 0.7084 हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब तथा 1.0626हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ,7 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 2/2 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा खाता संख्या 31/5 की भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ,9 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/4/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मैनपाल पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

#### बनाम

1. अमरसिंह पुत्र चुनीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
2. भागीरथ पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
3. ताराचन्द पुत्र चुनीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
4. घडसीराम पुत्र चुनीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
5. इन्द्राज पुत्र चुनीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
6. कृष्ण कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
7. रूधाराम पुत्र चुनीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
8. सुनील कुमार पुत्र रूधाराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
9. सजना पत्नी चुनीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
10. सुरस्वती पुत्री चुनीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
11. सावत्री देवी पुत्री चुनीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
12. पार्वती पुत्री अमरसिंह जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
13. कविता पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
14. समेस्ता नाबालिग पुत्री रूधाराम संरक्षिका माता कलावती पत्नी रूधाराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 245 सन 2021 निर्णय दिनांक- 09/11/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 54/60 की कुल 17.9637हैक् भूमि मृतक चुनीराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 2.1994हैक् भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब एवं 4.8698हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 3 तथा 3.2816हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 4 व 2.00 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ,7 दोनो बहिब एवं 5.6122हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 6 व 8 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 77/82 की कुल 12.738हैक् भूमि में से 161/1158 हिस्सा यानी 1.771हैक् भूमि मृतक चुनीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 0.7084 हैक् भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब तथा 1.0626हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ,7 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 2/2 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा खाता संख्या 31/5 की भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ,9 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )